

N.I.C.

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर ।

723

संख्या /आ0लि0-दुकान बन्दी

दिनांक अक्टूबर 25, 2007

आदेश

जनपद में दुर्गा पूजा पर्व एवं मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से यू0पी0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संजय कुमार जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर आदेश देता हूँ कि जनपद सुलतानपुर के नगरपालिका क्षेत्र स्थित एवं उसके आठ किलोमीटर परिधि के अंतर्गत आने वाली समस्त देशी शराब, बिदेशी मदिरा, बियर, सी0एल0-2, एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-16/17 तथा भांग की दुकाने दिनांक 27.10.2007 को पूर्णतया बन्द रहेगी । इस बन्दी के ऐवज में संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षति पूर्ति देय नहीं होगी ।

J.S.
25.10.07
(संजय कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट,
सुलतानपुर ।

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर ।
2. मुख्य विकास अधिकारी सुलतानपुर ।
3. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/ (वि0/रा0)/ (भूराजस्व) सुलतानपुर ।
4. समस्त उप जिलाधिकारी सुलतानपुर ।
5. सहायक सूचना निदेशक सुलतानपुर को 10 प्रतियों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
6. जिला आबकारी अधिकारी सुलतानपुर को अनुपालनार्थ ।
7. समस्त संबंधित अनुज्ञापियों को अनुपालनार्थ ।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

J.S.
25.10.07
जिला मजिस्ट्रेट,
सुलतानपुर ।